



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 21.04.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 209/2026 धारा 70(2)/333 बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 209/2026 धारा 70(2)/333 बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सलीम पुत्र रफीक निवासी ग्राम क्यामपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र 35 वर्ष।

नोट - उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 07.04.2026 को अभियुक्त रवि पुत्र श्याम को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- व0उ0नि0 श्री रजनीश कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
- 2- है0का0 551 छत्रपाल सिंह थाना बागपत जनपद बागपत।